राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 766/2024

भरत सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कम्प्यूटर के पद पर दिनांक 22.12.1990 में हुई थी। तत्पश्चात् अपीलार्थी को सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर दिनांक 24.05.2008 को पदोन्नत किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 के अपीलार्थी को सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाकर राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर में पदस्थापित किया गया। यहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 05.10.2018 को कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–2 व 3)। अपीलार्थी की जन्म तिथि 02.10.1965 है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी 18 माह पश्चात् दिनांक 31.10.2025 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 06.02.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर में चुनाव में अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में सहायक व्यय परिवेक्षक लगया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक में बिना किसी प्रशासनिक

आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति में 20 माह शेष रहते हुए किया गया है जो नियमानुसार सही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 1037/2017 मगराज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 एवं उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14577/2016 मंजूला पाठक बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 एवं माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3067/2019 कृष्ण गोपाल सिंगल बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 एवं अपील संख्या 3208/2021 राकेश उपाध्याय बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 26.08.2021 को उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अपीलार्थी का वर्ष 2023 में एक्सीडेंट की वजह से अपीलार्थी का Clavicle right side. ACM joint, D/L Rock Wood Type-II & Brachial Plexus Compression with fracture 4th to 8th Ribs Right side इसलिए अपीलार्थी लम्बी यात्रा करने में असमर्थ है तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 160 कि.मी. दूर कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है (अनुलग्नक–7)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर में कार्यरत रहने एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित वेतन का भुगतान करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक में पदोन्नति पर लोकहित में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर में अपीलार्थी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद के विरूद्ध ही कार्य कर रहा था। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 160 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य